192/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 192/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

03–04–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से चाही गई 2 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 14.11.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

> तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के पत्रांक 4916–17 दिनांक 28.10.2016 में अंकित तथ्य कि परिवाद संख्या 6288 दिनांक 30.08.16 एवं 6289 दिनांक 30.08.16 के संबंध में जो रिपोर्ट दी है श्री सांवरमल रेगर द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 संख्या 1 श्रीगंगानगर में नियमित पैरवी की जा रही है।
> 1– परिवाद दायर होने से दिनांक 14.10.16 से पूर्व जो जो पैरवी श्री सांवरमल द्वारा की गयी है प्रत्येक पेशी पर उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2– परिवाद में आगामी पेशी जिस कार्यवाही हेतू है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में अपना प्रतिवेदन सं0 चुनाव/4945 दिनांक 06.01.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना उनके कार्यालय के रजि0 पत्र संख्या 4937 दिनांक 08.12.2016 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 4937 दिनांक 08.12.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

> 1– उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 संख्या 1, श्रीगंगानगर में विचाराधीन है। मूल पत्रावली माननीय न्यायालय में है। अतः प्रमाणित प्रतिलिपि माननीय न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।
> 2– आगामी तारीख पेशी 14.12.2016 है। मूल पत्रावली माननीय न्यायालय में है अतः प्रमाणित प्रतिलिपि माननीय न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकार्ड तहसीलदार के कार्यालय में न होकर बल्कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि0 संख्या 1, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण से संबंधित है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो की सूचना प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 08.12.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से यदि अपीलार्थी निरीक्षण कर कोई सूचना लेना चाहे तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर